न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर– 2025/50

1. जसराम पुत्र रामला जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुगोलाब हाल निवासी गेटोलाव तहसील लवाण, जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा, जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 17.01.2025 अपील संख्या 20/2024 उनवानी जसराम बनाम राजस्थान सरकार व तहसीलदार दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 15.10.2024 प्रकरण संख्या 11/2024 में आदेश पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज गुर्जर, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 19.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.01.2025 एवं तहसीलदार दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 15.10.2024 के खिलाफ दिनांक 11.02.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 15.10.2024 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2081 में वाके ग्राम दौसा, पटवारी हल्का दौसाकलां के आराजी खसरा नम्बर 2628 कुल रकबा 3.5200 किस्म गै0 मु0 पाल में से रकबा 0.01 है0 एवं खसरा नम्बर 2629 कुल रकबा 0.6700 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से रकबा 0.01 है0 (सिवायचक) भूमि पर अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से दो दुकान एवं डेयरी जिसमें चाय की थडी लगाकर अतिक्रमण करने पर 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश की गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.01.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. तहसीलदार दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 15.10.2024 तथा जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.01.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार दौसा, जिला दौसा दिनांक 15.10.2024 तथा जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.01.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ हर दो न्यायालय का निर्णय विरूद्ध विधि विधान नियम प्रक्रिया होने की गरज से चलने योग्य नही है निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का खसरा नम्बर 2628, 2629 गै०मु० पाल एवम रास्ते की भूमि पर आज दिन तक कोई अतिचार नही रहा। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 2651 जो खसरा नम्बर 2628, 2629 के समानान्तर स्थित है शुदा में से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

खातेदार कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल रकबा डेड बिस्वा भूमि का क्रय जरिए इकरारनामा दिनांक 31.03.2005 को किया गया है। 20,000/–रूपये में भूमि क्रय कर निर्माण कराया गया है पुख्ता निर्माण कर सीमाज्ञान कराकर ही अपने हक अधिकार की भूमि पर निर्माण कर हर कदर उपयोग–उपभोग किया जाता रहा है। राजनैतिक पहुंचवाले लोगों के दबाव में आकर निर्णय हर दो मातहद फरमाया गया जो चलने योग्य नही है व निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार दौसा ने न्याय के सामान्य सिद्धान्त के विरूद्ध मनमानी पूर्ण निर्णय पारित फरमाया है तथा अपीलांट की समुचित सुनवाई किये बिना व अपीलांट के समक्ष सीमाज्ञान कराये बिना एकतरफा में निर्णय पारित फरमाया गया है। अपीलांट सही न्याय निर्णयन चाहता है। अपीलांट की संतुष्टि बाद अतिचार पाये जाने की सूरत में अपना पुख्ता निर्माण हटाने को तैयार है तो फिर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा अपीलांट की कोई जांच सुनवाई को उचित नही पाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा जाना है जो कतई गलत है चलने योग्य नही है। अपीलांट अपील के जरिये समुचित सुनवाई व वैधानिक जांच कराना चाहते है बिना अपीलांट की मौजूदगी में तैयार की गई रिपोर्ट व निर्णय विधि विरूद्ध न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्त के विरूद्ध होने की गरज से चलने योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2025 व तहसीलदार दौसा, जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2024 को खारिज फरमाया जाकर पत्रावली रिमाण्ड फरमाई जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2081 में वाके ग्राम दौसा, पटवारी हल्का दौसाकलां के आराजी खसरा नम्बर 2628 कुल रकबा 3.5200 किस्म गै0 मु0 पाल में से रकबा 0.01 है0 एवं खसरा नम्बर 2629 कुल रकबा 0.6700 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से रकबा 0.01 है0 (सिवायचक) भूमि पर अनाधिकृत रूप से दो दुकान एवं डेयरी जिसमें चाय की थडी लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 15.10.2024 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2025 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमी के अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा, जिला दौसा की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 22.08.2024 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा संवत 2081 में वाके ग्राम दौसा, पटवारी हल्का दौसाकलां के आराजी खसरा नम्बर 2628 कुल रकबा 3.5200 किस्म गै0 मु0 पाल में से रकबा 0.01 है0 एवं खसरा नम्बर 2629 कुल रकबा 0.6700 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से रकबा 0.01 है0 (सिवायचक) भूमि पर अनाधिकृत रूप से दो दुकान एवं डेयरी जिसमें चाय की थडी लगाकर अतिक्रमण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा, जिला दौसा द्वारा अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 15.10.2024 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए निर्णय पारित किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.01.2025 में यह माना है कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकीन पाल, रास्ता की सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै0मु0 पाल, रास्ता है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानूनन गैर मुमकीन पाल, रास्ता की सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से दो दुकान एवं डेयरी जिसमें चाय की थडी लगाकर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में गै0 मु0 पाल, रास्ता की सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी गै0 मु0 पाल, रास्ता की सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.01.2025 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा, जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2024 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.01.2025 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा, जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2024 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर